दैनिक
खबरों की दुनिया
टोंक » बुधवार » 15 जू

जिला कलेक्टर की जनसुनवाई से मनदीप को मिली राहत, 9 साल में बना आधार कार्ड

खबरों की दुनिया

टोंक। आधार कार्ड देश में नागरिकों की पहचान बताने वाला अहम दस्तावेज होने के साथ ही लगभग सभी आवश्यक सेवाओं में उपयोग होने वाला प्रमाणिक अभिलेख है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर शुरू की गई जनसुनवाई मनदीप जांगिड़ के लिए राहत लेकर आई। जो काम 9 साल से नहीं हो रहा था। वह जनसुनवाई के माध्यम से एक माह में ही हो जाने पर मनदीप एवं उसके पिता कृष्णकुमार जांगिड़ ने राज्य सरकार का इस तरह की जनसुनवाई आयोजित करने पर आभार व्यक्त किया।

जिला कलेक्टर की नाथड़ी में विगत 12 मई को आयोजित जनसुनवाई के दौरान मनदीप अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा। जहां उसने जिला कलेक्टर को अपनी परेशानी से अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही इस समस्या को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक देवेन्द्र माथुर को अवगत करवाया तथा पीड़ित को टोंक कार्यालय बुलाया। जिला प्रशासन द्वारा सकारात्मक प्रयास तथा लगातार की गई मॉनिटरिंग के बाद मनदीप का आधार बन गया। पीपलू से लेकर दिल्ली तक अपने बेटे के आधार कार्ड को लेकर चक्कर लगा चुके कृष्णकुमार जांगिड़ ने आधार कार्ड जारी होने पर राहत की सांस ली। जिस आधार कार्ड को बनवाने के लिए मनदीप 9 वर्ष से प्रयासरत था, वह कार्य जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में बताने पर तथा जिला कलेक्टर द्वारा इसे गंभीरता से लेने पर 1 माह में सफल हो गया। पीपलू निवासी कृष्णकुमार जांगिड़ के बेटे मनदीप जांगिड़ का आधारकार्ड नहीं होने के कारण उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कृष्णकुमार जांगिड़ ने बेटे का आधार कार्ड बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उसे आधार कार्ड बनने के पश्चात कई सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मनदीप के पिता ने कहा कि अगर जिला कलेक्टर इस प्रकरण को गंभीरता से नही लेती तो शायद मेरे बेटे का आधार कार्ड नहीं बन पाता।

2013 से थे परेशान

पीपलू निवासी कृष्णकुमार जांगिड़ अपने पुत्र मनदीप का आधार कार्ड बनवाने को लेकर वर्ष 2013 से ई-मित्र केंद्रों सहित प्रशासन, संबंधित अधिकारियों तक जा चुका था, लेकिन उसके पुत्र का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। इस समस्या को लेकर उसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिल्ली कार्यालय भी गया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। साथ ही इन प्रक्रियाओं में वह करीब 10 हजार रुपए से अधिक खर्च भी कर चुका था। कहीं से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, न हीं आधार कार्ड बन पाया था।